

12 $\frac{06}{24}$

पत्रावली भेरा हुई। वकुलाय उफ।

TDR बाली से तय्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की गई। बटस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बटस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया गया। आदेश प्रति TDR बाली व सम्बन्धित संवादीत को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार (होकर) नम्बर से कम है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2023/149
दायरा तिथि : 16.08.2023
आदेश तिथि : 12-06-2024

प्राथी - श्री हितपालसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी पुराडा तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

अप्राथी - राजस्थान सरकार जरिये (भूमिदारी) तहसीलदार बाली
प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकॉर्ड नया रास्ता उपलब्ध कराने

दिनांक: 12-06-2024

आदेश
प्राथी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम-68 प्रस्तुत कर प्राथी की खातेदारी भूमि ग्राम भन्दर घटवार हल्का भन्दर तहसील बाली के खसरा नंबर 4752/1 रकबा 16000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम भन्दर तहसील बाली के खसरा नंबर 3724/4752 रकबा 13.5500 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतिया भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार बाली को गौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/498 दिनांक 29.05.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक नाना की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह है कि आवेदक श्री हितपालसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी पुराडा तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.) की खातेदारी भूमि ग्राम भन्दर के खसरा नंबर 4752/1 रकबा 1.6000 हैक्टर में वर्तमान में प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है एवं वर्तमान में आवेदक आवागमन के लिए इसी रास्ते का उपयोग कर रहा है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता सड़क व कटान मार्ग खसरा नंबर 3707 से न्यूनतम दूरी का है।
3. यह है कि ग्राम भन्दर में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र.सं. | खसरा नंबर | रकबा हैक्टर में | किरम | रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल | नाम खातेदार |
|---------|-----------|-----------------|-------------|--|-------------------------------|
| 1 | 3724/4752 | 13.5500 हैक्टर | गै.गु. भाखर | 232x05= 1160 वर्गमीटर | राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार |

4. यह कि प्रस्तावित भू-भाग के खसरा नंबर की डी.एल.सी. दर 1,68,635 रु/- रूपये प्रति हैक्टर है।
5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्राथी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंघा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में प्राथी व सरकार की बहस सुनी गई।

3
सहायक कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी, बाली



पेज लगातार.....02

पञ्चावली व उपलब्ध रेकर्डों के अध्ययन व त्रुटिपूर्ण की बहस पर मनन के पश्चात यह जांचिए है कि आवेदक की खातेदारी भूमि नाम मन्दर पटवार हल्का मन्दर तहसील बाली के खसरा नंबर 4752/1 रकबा 10000 हेक्टर की भूमि में अजामनत के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जमा की पश्चात अपने कामोत्तम पत्रांक राजस्व/2024/498 दिनांक 29.06.2024 से नया रेकर्डींग रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान कायदाकारी अधिनियम 1955 संशोधन 2012 सम्बंधित राजस्थान कायदाकारी (सरकारी) संशोधन नियम 2012 तथा इस सलाह में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (पुप-6) की अधिसूचना क्रमांक 13(2)Rev 6-01-पृ 7 Jaipur Dated 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (पुप-6) के परिपत्र क्रमांक 3(52) राज नं/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा पदत निर्देशों/शक्तियों के अनुसार नये प्रतीकों की खातेदारी भूमि नाम मन्दर पटवार हल्का मन्दर तहसील बाली के खसरा नंबर 4752/1 रकबा 10000 हेक्टर की भूमि में अजामनत के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायक्त भूमि नाम मन्दर तहसील बाली के खसरा नंबर 3724/4752 रकबा 135500 हेक्टर में से 2088 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिफल राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा नौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व रेकर्डों में इन्दाज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिफल राशि को जमा करावे।
प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है -


| खसरा नंबर | रकबा हेक्टर में | रास्ते के लिये वर्गीकृत क्षेत्रफल | डीएल सी दर (प्रति वर्ग मी) रुपये | देय प्रतिफल राशि की डीएल सी दर 1,00,000/- रुपये प्रति हेक्टर से पुपुपी राशि | नाम खातेदार |
|-----------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 3724/4752 | 13.5500 हेक्टर | 212x9= 2088 वर्गमीटर | 17 | 36400x2=70992 | राजकीय सिवायक्त भूमि राजस्थान सरकार |

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 70,992/- (अक्षरे सात हजार नौ सौ बरानवे रुपये मात्र) रुपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण निजी खातेदार/राज्य सरकार को अदा की जायेगी। प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करावाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभि. नाना द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।
तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकर्डों में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।
तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकर्डों में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरगीम कर पालना प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। भिसल फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

3
सहायक अतिरिक्त एवं पदेन
उपप्रमुख अधिकारी, बाली
दिनांक : 12-06-2024

क्रमांक/कोर्ट/2024/699-703
प्रतिनिधि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिफल राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिफल राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू030 नाना
3. पटवारी हल्का, मन्दर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री हितपालसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी पुराडा तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.) को सूचनार्थ।



3
उपप्रमुख अधिकारी, बाली
सहायक अतिरिक्त एवं पदेन
उपप्रमुख अधिकारी, बाली